जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 67वीं बैठक दिनांक 29-9-2004 को सायं 4.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 9 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तैयार किया गया।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री एस.एन. तिवाडी, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती सुषमा अरोडा, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री गोपाल सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- दी कृष्णा को0हा0को0लि0 की योजना स्कीम नं0 3 ग्राम- सांगानेर के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सैक्टर प्लान के अनुसार रेलवे स्टेशन रोड की चौडाई 100फिट ही रखी जावे एवं व्यावसायिक भूखण्डों का नियमन नही किया जावे। योजना से गुजरने वाली 80फिट चौडी सैक्टर रोड को 80फिट ही रखा जावे एवं 80फिट चौडी सडक की तरफ स्थित भूखण्डों के नियमन व लीजडीड तभी जारी किया जावे जब वह सडक क्षेत्र से अतिक्रमण हटा लेंवे। जिन भूखण्डधारियों द्वारा सडक क्षेत्र से अतिक्रमण नही हटाया जावे उन पर प्रवर्तन शाखा द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही निष्पादित की जावे। भूखण्ड सं0 28 से 31 का आंशिक भाग खसरा सीमा से बाहर है जिसे छोडकर नियमन किया जावे। उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए मानचित्र अनुमोदित कर नियमन की कार्यवाही की जावें।

एजेण्डा सं0 2 :- दी कृष्णा हा0को0सो0लि0 की योजना गोपीनगर विस्तार स्कीम नं0 6 ग्राम- सांगानेर के अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना से गुजरने वाली 80फिट सैक्टर रोड को रखते हुए ही मानचित्र अनुमोदित किया जावे एवं भूखण्ड सं0 1,2,4,5,6 का अग्र भाग 80फिट सैक्टर रोड से आंशिक रूप से प्रभावित है अत: शेष भाग को स्वीकृत नहीं किया जावे। भूखण्ड सं0 23 से 25 व 28 तथा 2 व 4 के मध्य की 20फिट चौडी सडक को 30फिट किया जाकर मानचित्र अनुमोदित कर नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 3 :- दी कृष्णा हा0को0सो0लि0 की योजना नन्द कॉलोनी ग्राम- सांगानेर के अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि योजना का भूभाग हाउसिंग बोर्ड की अवाप्ति से प्रभावित है जबकि लगभग 90प्रतिशत निर्माण योजना के भूखण्डों पर किया जा चुका है। अतः हाउसिंग बोर्ड से सर्वप्रथम अनापत्ति प्रमाण-पत्र ली जावे तत्पश्चात् ही योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे।

एजेण्डा सं0 4 :- पंचवटी कॉलोनी बलॉक डी के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि योजना की आन्तरिक सडको को 30फिट किया जावे एवं भूखण्ड 1 व 12 को न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया जावे। दुकान सं0 1 योजना की 40फिट सडक में आने के कारण अस्वीकृत की जावे। दुकान सं0 210 के सामने 10फिट चौडा प्लेटफार्म निर्मित है जिसे हटाया जाकर पार्किंग हेतु आरक्षित रखवाया जावे। खसरा नंबर 3911 की सरकारी भूमि को योजना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर नियमानुसार राशि योजना क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए निमयन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 5 :- पंचवटी कॉलोनी बलॉक बी के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया निर्णय लिया गया कि योजना की आन्तरिक सडको को 30फिट किया जावे। भूखण्ड 10ए, 11 व 20 को न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नही मिलने के कारण अस्वीकृत (Not Approved) किया जावे। साथ ही भूखण्ड सं0 8 के पूर्वी ओर सडक के साथ के क्षेत्र को भी अस्वीकृत (Not Approved) किया जावे। उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए योजना अनुमोदन की जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 6 :- तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना वीर तेजाजी नगर ग्राम- सांगानेर के अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित योजना मानचित्र में दर्शाई गये सुविधा क्षेत्र को यथावत रखते हुए योजना नियमन से पूर्व सुविधा क्षेत्र पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण जविप्रा द्वारा करवाया जावे। भूखण्ड सं0 19 से 22 के सामने की सडक की चौडाई 20फिट के स्थान पर 30फिट की जावे। योजना के समीप सरकारी रास्ता (खसरा नंबर 2054) की चौडाई दोनों ओर से 15-15' लेकर कुल 30फिट का रास्ता किया जावे। भूखण्ड सं0 18 के भूभाग को सडक क्षेत्र में आने वाले निर्माण को हटाने के पश्चात् ही पट्टा जारी किया जावे एवं भूखण्ड सं0 7 खसरा सीमा के अन्दर के भूभाग को ही नियमित किया जावे। उपरोक्त संशोधन को रखते हुए मानचित्र अनुमोदित कर नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा सं0 7 :- दी कृष्णा हा0को0सो0लि0 की योजना पटेल नगर ग्राम- सांगानेर के अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि योजना के अधिकांश भूखण्ड

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

-शुद्वि पत्र-

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 67वीं बैठक दिनांक 29-9-04 का कार्यवाही विवरण के एजेण्डा सं0 2 में त्रुटिवश एक निर्णय का समावेश नहीं हो सका था। अतः उक्त एजेण्डा सं0 2 के निर्णय को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है:-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना से गुजरने वाली 80फिट सैक्टर रोड को रखते हुए ही मानचित्र अनुमोदित किया जावे एवं भूखण्ड सं0 1,2,4,5,6 का अग्र भाग 80फिट सैक्टर रोड से आंशिक रूप से प्रभावित है अतः शेष भाग को स्वीकृत किया जावे। योजना में पूर्ण रूप से व आंशिक रूप से प्रभावित भूखण्ड सं0 26, 26ए, 27, 27ए, 28, 29, 30, 31 का नियमन नहीं किया जावें। भूखण्ड सं0 23 से 25 व 28 तथा 2 व 4 के मध्य की 20फिट चौडी सडक को 30फिट किया जाकर मानचित्र अनुमोदित कर नियमन की कार्यवाही की जावे।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 169
दिनांक :- 10/12/04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।